सत्यमेव जयते

No.1/4/2018-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 8th June, 2018

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

Subject: Summary Record of discussions of 104th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 8.5.2018 at 3:00 P.M.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 104th meeting **of** the National Commission for Scheduled Tribes was held on 8.5.2018 at 3:00 P.M in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(S.P Meena)
Assistant Director

Copy of the Summary Record of discussions of 104th meeting of NCST is forwarded to the following Officers with request that information about action taken on the decision taken in the meeting concerning each Unit/Office may be furnished to Coordination Cell by 18.6.2018 positively:

(i) Deputy Secretary (RU-I & II)
(ii) Under Secretary (Estt.)
(iii) Assistant Director (RU-II & Coordination)
(iv) Assistant Director (RU-I & OL)
(v) Assistant Director (RU-III & Admin)
(vi) Research Officer (RU-IV)

Copy of Summary Record of discussion of 104th meeting is enclosed for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (Shri HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (Shri HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member (Smt. MCI), NCST
6. Sr.PPS to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
9. NIC, NCST for uploading on the website.

4535-40
11/6/18

जारी किया
ISSUED

O/C

सत्यमेव जयते

No 1/4/2018-समन्वय.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

छठा तल, 'बी' विगं, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांकः 8 जून, 2018

सेवा में,

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष,
3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य,
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य,
5. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य,

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 8.5..2018 को 3:00 बजे सम्पन्न 104वीं बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग की 104वीं बैठक आयोग के सम्मेलन कक्ष, लोकनायक भवन, नई दिल्ली मे दिनांक 8.5..2018 को 3:00 बजे सपन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई। बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(एस.पी. मीना)
सहायक निदेशक

104वीं बैठक की कार्यवृत की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि बैठक मे लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध मे जानकारी, प्रत्येक संबधित एकक/कार्यालय द्वारा दिनांक 18.6.2018 तक अवश्य ही समन्वय एकक को भेज दी जाए।

1. उप सचिव (अनुसंधान एकक– I & II)
2. अवर सचिव (स्थापना)
3. सहायक निदेशक, (अनुसंधान एकक– II एवं समन्वय एकक)
4. सहायक निदेशक, (राजभाषा एवं अनुसंधान एकक–I)
5. सहायक निदेशक (प्रशा. एवं अनुसधान एकक– III)
6. अनुसंधान अधिकारी (आर.यू–IV)

प्रतिलिपि, 104वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषितः

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव के निजी सहायक
8. निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/भुवनेश्वर/जयपुर/रायपुर/रांची/शिलांग।
9. आयोग की एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 104वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त

(फाईल सं. 1/4/2018–समन्वय)

दिनांक : 8.5.2018 समय : 3.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्री राघव चंद्रा, सचिव
5. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
6. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
7. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
8. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
9. श्री आर.के दुबे, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्य सूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

कार्यसूची मद सं0 1	ड्राफ्ट राष्ट्रीय वन नीति–टिप्पणियां/आपत्तियां
Agenda Item No.1	Draft National Forest Policy-comments/objection.

(EASS/1/2018/MENV1/DEOTH/RU-IV)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गए प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति, 2018 पर आपत्ति/सुझाव देते हुए श्री ईएएस शर्मा, निवासी 14–40–4/1, गोखले रोड़ महारानीपेटा, विशाखापटनम से दिनांक 23.03.2018 का ऑनलाईन अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

1.2 इस अभ्यावेदन में निम्नलिखित आपत्तियां/टिप्पणियां उठाई गई है और आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया गया है।

1. देश में वन क्षेत्रों और उन क्षेत्रों के बीच परस्पर काफी व्याप्ति है जो जनजातीय लोगों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। प्रारूप नीति दस्तावेजों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमईएफसीसी) वनों एवं जनजातीय लोगों के बीच सहजीवन संबंध के महत्व को कवर करने में असफल हुआ है।

2. इस प्रारूप नीति विवरण को जनजातीय लोगों को प्रस्तुत करना एवं उनके विचार जानना आवश्यक है। विशेष रूप से संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों, पेसा अधिनियम के प्रावधानों और लागू होने वाले वन अधिकार अधिनियमों के संबंध में। यह आवश्यक है कि प्रारूप नीति पर पेसा अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय ग्रामसभाओं द्वारा विचार किया जाए और उनका संकल्प प्राप्त किया जाए जिसके बिना वन नीति कानूनी वैधता प्राप्त नहीं कर सकती।

3. धारा 4.1.1 के अंतर्गत शामिल किया गया खंड़ यह अर्थ देता है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षाओं को पृष्ठभूमि में मांगा गया है और तथाकथित "सहभागिता वाला" संयुक्त वन प्रबंधन उपागम एक ढकने वाली भूमिका देने की मांग करता है। यह अस्वीकार्य है क्योंकि यह वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय ग्राम सभाओं की भूमिका को विरल करने का प्रभाव डालेगा और जनजातीय ग्राम सभाओं की स्वायत्ता की कीमत पर वन संसाधनों पर वन ब्यूरोक्रेसी द्वारा इसे कमजोर करेगा। पांचवीं अनुसूची के खंड़ 5 के अंतर्गत जनजातीय लोगों का भूमि एवं वनोसहित सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अनुमानित दावा होता है। प्रारूप वन नीति इस दावे को कमजोर करती है जो कि जनजातीय हितों के संवैधानिक सुरक्षणों के खिलाफ जाती है।

4. इस प्रारूप वन नीति को पढ़ने से यह असुविधाजनक अहसास होता है कि ये नीति दस्तावेज वनों एवं खनिज संपदा जो वनों में पाए जाते हैं, के दोहन में निगमित हितों को प्रभावी करने के लिए निर्मित किए गए है। उदाहरण के लिए एमईएफसीसी, उन क्षेत्रों में सघन वन विकास के दृष्टिकोण से खनन करके वनों के क्षेत्रों को "अगमनीय" क्षेत्रों के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करती थी। जनजातीय लोगों का भी ऐसे क्षेत्रों में हिस्सा होता है। यह आश्चर्यजनक है कि नीति दस्तावेजों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को मेगा प्रोजेक्ट सेंसिटीव के उद्देश्य से सभी अनुसूचित क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित क्षेत्र के रूप में विचार करना चाहिए।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

5. यह दस्तावेज इस विचार से तैयार किए गए प्रतीत होते हैं कि वन विभाग अकेला ही वन संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सक्षम है जबकि वनों के संरक्षण के लिए एमईएफसीसी का पिछला ट्रेक रिकोर्ड संतोषजनक नहीं रहा है। उदाहरण के लिए जब ओड़िशा राज्य सरकार ने नीलगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट के खनन के लिए वैदांता समूह को अनुमति देने का प्रयास किया तब एमईएफसीसी वहां पर वन संसाधनों का संरक्षण करने में सक्षम नहीं रहा था जबकि मंत्रालय स्वयं ही वहां पर वनों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 48क के अंतर्गत स्वयं की संवैधानिक बाध्यता को पूरा किए बिना राज्य सरकार के साथ मुक समर्थक बनी। अंत में शीर्ष न्यायालय के उदाहरण पर नीलगिरी क्षेत्र में जनजातीय ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की गई। यह वहीं ग्राम सभा थी जिन्होंने वन नीति दस्तावेजों में जनजातीय ग्राम सभाओं के प्रभावी स्थान के साथ नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र के लिए इस संभव बनाते हुए बॉक्साइट के खनन का विरोध किया था।

1.3 इस मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बेवसाइट से प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति, 2018 को डाउनलोड किया गया है और उसकी एक प्रति एफ/ए पर दी गई है। प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति, 2018 की मुख्य बातें इस प्रकार है।

1.4 "1894 एवं 1952 की वन नीतियां वनों के उत्पादन एवं राजस्व सृजन पहलूओं पर जोर देती है जबकि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य जलवायु समानता सहित पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना था जो कि सभी प्रकार के जीवनरूपों, मनुष्यों, जानवरों और वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 1988 की नीति पारिस्थितिकी सुरक्षा, स्थायी वन प्रबंधन और सहभागिता वाले वन प्रबंधन को सशक्त करने में कारगर रही है।

1.5 वर्तमान नीति का पूर्ण उद्देश्य एवं लक्ष्य वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लोगों की पारिस्थितिकी एवं आजीविका सुरक्षा का संरक्षण करना है, जो देश की पारिस्थितिकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के चलने के लिए वनों के सतत प्रबंधन के आधार पर राष्ट्र को वन एवं वृक्षों को कवर करने के अंतर्गत कुल भूमि क्षेत्र के कम से कम एक तिहाई हिस्से को रखना चाहिए। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन और भूमि अवनयन को रोकने के लिए वन एवं वृक्षों को कवर करने के क्षेत्र का दो तिहाई भाग रखने का लक्ष्य होगा और नाजूक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने को सुनिश्चित करना भी होगा।"

1.6 प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति 2018 का परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति प्रकृति से साधारण है। अनुसूचित जनजातियों के हित के सुरक्षणों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। यह इंगित किया जाता है कि अनुसूचित जनजातियां समाज के नाजूक समूह है जो अधिकतर वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। अनुसूचित जनजातियों की आजीविका के मुख्य स्रोत वन उत्पादों से आते हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि श्री ईएएस सर्मा द्वारा उठाई गई आपत्ति अनुसूचित जनजातियों के हित में प्रतीत होती है। यह प्रस्ताव है कि

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित मंत्रालय से श्री सर्मा द्वारा उठाई गई आपत्ति पर टिप्पणियां मांगने के लिए विचार कर सकता है।

1.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सिफारिश करता है कि ग्राम सभा को गॉव के साथ लगे वनों से सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार रखना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस संबंध में श्री ई.ए. एस. शर्मा के सुझावों को शामिल करना चाहिए।

(National Commission for Scheduled Tribes recommends that Gram Sabha should have absolute right to decide on all matters relating forests adjoining the village. Also the Ministry of Environment & Forest should in corporate the suggestion of the Shri E.A.S. Sharma in this regard).

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 2	एकलव्य मॉडल आवसीय विद्यालयों (ई.एम.आर.एस) के पुनर्निर्माण पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के लिए ड्राफ्ट नोट।
Agenda Item No. 2	Draft Note for Cabinet Committee on Economic Affairs on "Revamping of Eklavya Model Residential Schools(EMRSs).

(Policy-02/Cabinet Note/2018/RU-II)

"एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की पुर्नमरम्मत" पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटि के लिए ड्राफ्ट नोट की एक प्रति संलग्न करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 8 अप्रैल, 2018 का एक का.ज्ञा. भेजा है, जिसे आयोग में दिनांक 11.04.2018 को प्राप्त किया गया।

2.2 वर्ष 2018–2019 के लिए बजट घोषित करने के दौरान, सरकार ने घोषित किया है कि "सरकार जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को महसूस करते हुए, यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2022 तक, 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति संरक्षण वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समतुल्य ही होंगे और खेलकुद तथा कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होगी।"

2.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कैबिनेट के लिए नोट में निम्नलिखित प्रस्ताव तैयार किए।

(i) 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाले और कम से कम 20,000 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना। ऐसे 564 ब्लॉक में से 102 ब्लॉक में पहले से ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं। प्राथमिकता पैरा 3.1 के अनुसार होगी। इस प्रकार 2018–19 के दौरान, नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अपूरित जिलों और 25 अपूरित उप–जिलों में स्वीकृत किए जाएंगे। तत्पश्चात् , अगले तीन वित्तीय वर्षों में क्रमशः 100, 150 और 162 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत्त किए जाएंगे।

(ii) जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के समतुल्य निर्माणीय गुणवत्ता लाने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की निर्माणीय लागत को 25 करोड़ रूपए तक बढ़ाना।

(iii) जवाहर नवोदय विद्यालय के समतुल्य प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी आवर्ती लागत को 85,000/– रूपए तक बढ़ाना।

(iv) प्रति एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर 10 करोड़ रूपए की दर से पहले से स्वीकृत 271 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उन्नयन करना।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(v) रखरखाव के लिए अनुदान जो कि प्रत्येक पांच वर्षों में देय है, को प्रति विद्‍यालय में 10 लाख रूपए से 20 लाख तक बढ़ाना।

(vi) उपरोक्त पैरा 3.3 में यथा प्रस्तावित कार्यों के साथ एक राष्ट्रीय स्तरीय ईएमआर सोसाइटी की स्थापना करना।

(vii) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की अप्रयुक्त क्षमता की 10 प्रतिशत तक सीटों का गैर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने का निर्णय लेना। ईएमआरएस स्टाफ के बच्चों, उन बच्चों को जिन्होंने अपने माता–पिता वामपंथी अतिवाद और विद्रोह में खो दिया, विधवाओं के बच्चों दिव्यांग माता–पिता के बच्चों इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी।

(viii) अगले चार वर्षों की अवधि तक 15,832.07 करोड़ रूपए की वित्तीय लागत से प्रस्तावित स्कीमों को लागू करना। इसमें से 1340.50 करोड़ रूपए की राशि वर्ष 2018–19 के दौरान मांगी गई है। क्योंकि वर्ष 2018–19 के दौरान ईएमआरएस गतिविधियों के लिए मंत्रालय के पास लगभग 600.00 करोड़ रूपए पहले से ही उपलब्ध है, वर्ष 2018–19 के दौरान 740.50 करोड़ रूपए की एक अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

(ix) पैरा 4 की सारणी में दिए गए अनुमानित राशि के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान में बढ़ोत्तरी। ऐसी राशि को केवल ईएमआरएस के लिए उपयोग किया जाएगा और इसे राष्ट्र स्तरीय ईएमआरएस सोसाइटी द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।

2.4 अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इस विषय पर तीन सुझावों को शामिल करने का अनुरोध किया गया हैं:

1. **एकलव्य स्कुल के अध्यापकों का अलग से कैडर बनना चाहिए।**
2. **एकलव्य स्कुल के अध्यापकों के लिए स्कुल परिसर में ही निवास स्थान/क्वार्टर उपलब्ध कराया जाए।**
3. **एकलव्य स्कुल के मानक नवोदय विद्‍यालय के समकक्ष होना चाहिए।**

(NCST has requested to include three suggestions on this subject which is as under:

1. **A separate cadre should be made for the teachers of Eklavaya School.**
2. **Provisions should be made to provide accommodation/quarters for Eklavaya School teachers in the premises of the School.**
3. **The standards of Eklavaya School should be equivalent to Navoday School.)**

[signature]

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 3 **Agenda Item No. 3**	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की छठवीं (वर्ष 2010–11) सातवीं (वर्ष 2011–12) तथा आठवीं (वर्ष 2012–13) रिपोर्टो पर जनजातीय कार्यमत्रांलय का कार्यवाही ज्ञापन।
	छठवीं (वर्ष 2010–11)
	सातवीं (वर्ष 2011–12)
	आठवीं (वर्ष 2012–13)
	Action Taken Memorandum (ATM) of Ministry of Tribal Affairs on Sixth (for the year 2010-11) Seventh (for the year 2011-12) and Eighth (for the year 2012-13) report of National Commission of Scheduled Tribes. (Hindi Version)

(4/6/2015-Coord (Part)

यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विषय पर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय से विचार विर्मश किया जाना है, और इसके पश्चात् इस मुददे पर आयोग अपनी राय देगा।

(It was decided that above mentioned subject is to be discussed with the Secretary, Ministry of Tribal Affairs and thereafter the Commission should take its decision on the said subject.)

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पंप डीलरशीप निरस्त करने के संबंध में श्री सोनुपंत कालु निंबेकर, मालिक, त्रिबंकेश्वर पेट्रोलियम, त्रिंबेकश्वर, तालुका एवं जिला–नासिक (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 22.6.2015
Agenda Item No. 4	Representation dated 22.6.2015 received from Shri Sonupant Kalu Nimbekar, Proprietor, Trimbakeshwar Petroleum, Trimbakeshwar, Taluka and District Nasik (Maharashtra) regarding termination of Petrol Pump dealership by the Indian Oil Corporation Ltd.

(File No. 1/2017/NCST2/SEOTH/RU-II)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल), मुंबई द्वारा पेट्रोल पंप डीलरशीप को निरस्त करने के संबंध में श्री सोनुपंत कालु निबेंकर, मालिक, त्रिबंकेश्वर पेट्रोलियम त्रिबंकेश्वर, तालुका एवं जिला–नासिक (महाराष्ट्र) से दिनांक 22.06.2015 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। इस मुद्दे की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में जांच की गई और तत्कालीन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुद्दे पर दिनांक 22.04.2016 और 27.07.2016 की बैठक में इंडयन ऑयल कॉर्पोरेशन, मुंबई के अधिकारियों और अभ्यावेदक से विचार–विमर्श किया। दिनांक 27.07.2016 की बैठक में, पैरा 9 के द्वारा, यह उल्लेख किया गया था कि उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखकर, आयोग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से पत्र प्राप्त होने के सात दिन के भीतर, आईओसीएल को श्री सोनुपंत कालु निंबेकर को पेट्रोल पंप बहाल रखने की सलाह दी क्योंकि अनुसूचित जनजाति मालिक को परेशान करने के विचार से निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते हुए, आई ओसी एल का मनमाना निर्णय है इसमें असफल होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आई ओसी एल के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी। कार्यवृत्त की एक प्रति सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी उनके स्तर पर उचित कार्रवाई करने हेतु भेजी गई है।

4.2 आईओसीएल ने दिनांक 22.04.2016 और 27.07.2016 को आयोग में हुई बैठकों के कार्यवृत्त के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सी) सं. 9186/2016 और सीएम सं. 37148/2016 दाखिल की। रिट याचिका में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग प्रतिवादी सं. 1 और श्री सोनुपंत कालु निंबेकर, नासिक, महाराष्ट्र (अभ्यावेदक) प्रतिवादी सं. 2 था।

4.3 इस मुद्दे की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक16.08.2017 को आयोजित 98 वीं बैठक में कार्यसूची मद सं. 2 के रूप में चर्चा की गई। बैठक में, श्री सोनुपंत कालु निंबेकर के दिनांक 22.06.2015 के अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दे और दिनांक 22.04.2016 और 27.07.2016 की बैठकों की सिफारिशों/निष्कर्षों

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद, यह पाया गया कि "न्यायालय के मामले के जवाब को तैयार करते समय, यह महसूस किया गया कि पूर्व उपाध्यक्ष महोदय की सलाह विभिन्न कारणों से पुनर्विचार योग्य है। तदानुसार, आयोग ने निर्णय लिया कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाए और पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा दी गई सलाह को आयोग ने निरस्त किया। बैठक में लिए गए इस निर्णय को दिनांक 09.11.2017 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्र द्वारा केंद्र सरकार स्थायी परिषद, दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थिति की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को देने के अनुरोध के साथ संसूचित किया गया है।

4.4 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 09.01.2018 के आदेश में निम्नानुसार वर्णित किया (अंतिम पैरा 21,22 और 23 द्वारा) "दिनांक 27.07.2016 के प्रतिवादित आदेश के पैरा सात का वर्ण्य विषय संकेत करता है कि आयोग ने विवाद के समाधन के लिए स्वयं को एक वैकल्पिक फोरम मान लिया है। आयोग ने विशेष रूप से अवलोकन किया है कि " जहां तक मध्यस्थता के लिए आईओसीएल के पास जाना है, यह मालिक की इच्छा है कि वह विवाचक के पास जाए अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संवैधानिक प्राधिकारी के पास जाए। चूंकि वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखता है इसलिए स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि चूंकि प्रतिवादी सं. 2 एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, उनके पास सहमत विवाद समाधान विधि को बहाल करने की बजाय, अपनी शिकायत के निवारण के लिए आयोग के पास जाने का विकल्प है

4.5 उपरोक्त अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए , इस न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क और अपनी भूमिका को गलत समझा है। आयोग विवाद का समाधान करने के लिए एक वैकल्पिक फोरम नहीं हैं और न ही अनुनयात्मक कार्य करता है।

4.6 उपरोक्त को देखते हुए, याचिका को अनुमति दी जाती है और प्रतिवादित आदेशों को अपास्त किया जाता है। लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है।"

4.7 **यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इस प्रकार के व्यवसायिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए है।**

(It was decided that National Commission for Scheduled Tribes should not intervene in such commercial issues.)

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 5	डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सामाजिक–आर्थिक रूपातंरण के लिए डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसीएसईटी) और बौद्ध अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (चैत्य) की स्थापना के लिए ड्रफ्ट कैबिनेट नोट के संबंध में।
Agenda Item No. 5	Draft Cabinet Note for 'Establishing of Dr. Ambedkar International Centre for Socia-Economic Transformation (DAICSET) and International Centre for Buddhist Studies (Chaitya) in the Dr. Ambedkar Internationl Centre'-regarding.

(Policy-03/DAICSET/2018/RU-II)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16.04.2018 प्रेषित किया है जो इस कार्यालय में 19.04.2018 को प्राप्त हुआ जिसके साथ 'डॉ. अम्बेड़कर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सामाजिक–आर्थिक रूपातंरण के लिए डॉ अम्बेड़कर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसीएसईटी) और बौद्ध अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (चैत्य) की स्थापना' के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

5.2 प्रस्तावित सामाजिक–आर्थिक रूपातंरण के लिए डॉ अम्बेड़कर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसीएसईटी):–

(क) अनुसंधान के माध्यमों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण के क्षेत्र में अध्ययनों का उन्नयन एवं समर्थन करने के लिए उत्तम केंद्र होगा। यह आत्यंतिक वृद्धि एवं विकास प्राप्त करने पर केंद्रित सामाजिक–आर्थिक मुद्दों के लिए एक विचार–पुंज होगा।

(ख) इसमें परामर्शक विंग होगी और यह सामाजिक–आर्थिक मुद्दों के साथ–साथ क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रस्तावित करेगा, परामर्श लेगा, अनुसंधान उपलब्ध करवाएगा, नीतिगत विचार–विमर्श करेगा एवं डॉ अम्बेड़कर एवं बौद्ध अध्ययनों से संबंधित कार्यशालाएं एवं सम्मेलन आयोजित करेगा।

(ग) यह नए और विकासशील उद्यमियों के लिए उष्मायन केंद्र के रूप में सेवा करेगा।

(घ) यह राष्ट्रीय आंकड़ा ढांचे को विकसित एवं समर्थित करेगा जो उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

(ङ) यह सामाजिक विज्ञानों की लोक समझ का उन्नयन करेगा।

(च) युवाओं के विकास पर केंद्रित होगा।

5.3 प्रस्तावित बौद्ध अध्ययनों के लिए केंद्र (चैत्य)

(क) अन्य दार्शनिक परंपराओं के संबंध में उन सिद्धांतों को संदर्भ में पढ़ने के उद्देश्य के साथ बौद्ध विचारों एवं दर्शन के अध्ययन को सरल बनाने के लिए स्रोत केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(ख) यह सहिष्णुता, दया एवं समानता के बौद्ध मूल्यों को सामाजिक–आर्थिक पुनरुद्धार के औजार के रूप में प्रोन्नयन करेगा।

5.4 डॉ. अम्बेड़कर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी) में एक शासकीय परिषद् होगी जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय होंगे और सदस्यों के रूप में अन्य नामित विशेषज्ञ होंगे। सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भी इस परिषद के सदस्य होंगे और निदेशक, डीएआईसी इस शासकीय परिषद के सदस्य सचिव होगे। डीएआईसी में भारत सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव के पद एवं वेतनमान में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी होगा। यह सीईओ विषय विशेषज्ञों, अकादमिक व्यक्तियों और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा। यह सीईओ, डीएआईसी का प्रशासनिक एवं कार्यकारी अध्यक्ष होगा। सीईओ की सहायता के लिए स्टाफ होगा जिसके लिए पदो के सृजन को व्यय विभाग के दिनांक 15.09.2015 के आईडी नोट संख्या 124205/ई.सी.आई./2015 द्वारा पहले ही अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

5.5 जनजाति कार्य मंत्रालय ने कैबिनेट नोट में निम्नलिखित प्रस्ताव कियाः–

(क) निम्नलिखित दो संस्थानों की स्थापना के लिए कैबिनेट के अनुमोदन को मंजूर किया जाता है जिसे भारत सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव के पद एवं वेतनमान में सीईओ के पद के सृजन के साथ पैरा 3.1 और 3.2 में दर्शाए गए लक्ष्यों एवं उद्देश्यों और कैबिनेट नोट के पैरा 3.3 में दर्शाए गए संगठनात्मक ढांचे के साथ डॉ अम्बेड़कर अंतर्राष्ट्रीय केद्र के परिसर से कार्यान्वित किया जाएगा।

(i) डॉ अम्बेड़कर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसीएसईटी)

(ii) बौद्ध अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (चैत्य)

(iii) भारत सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव के पद एवं वेतनमान में सीईओ, डीएआईसी के पद का सृजन।

5.6 कार्यान्वयनों की समय सारणी का विवरण अनुबंध–I पर है

5.7 शेयर, नवीयन और लोक उत्तरदायित्व का विवरण अनुबंध–II पर है

5.8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग प्रस्तावित केन्द्र स्थापित करने पर सहमत है।

(National Commission for Scheduled Tribes agree to establish, proposed centre.)

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 6	जम्मू के बकरवाल (अनुसूचित जनजाति) का संरक्षण – श्री ई.ए.एस. सर्मा, विशाखापटनम से एक अभ्यावेदन।
Agenda Item No.6	Protection of bakarwals (ST) of Jammu-a representation from Shri E. A. S. Sarma, Vishakhapatnam.

(EASS/2/2018/STGJK/DEOTH/RU-I)

श्री ई.ए.एस शर्मा {भारत सरकार के पूर्व सचिव और पूर्व आयुक्त (जनजाति कल्याण), आंध्रप्रदेश सरकार}, विशाखापटनम ने दिनांक 19.04.2018 के ईमेल अभ्यावेदन द्वारा बताया है कि जम्मू और कश्मीर की बकरवाल अनुसूचित जनजाति प्राथमिक रूप से पशुचारी खानाबदोश हैं। उन्होंने देश में अनुसूचित जातियॉ एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (एफआरए) और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के उद्देश्य से किए गए प्रावधानों को इंगित किया है। इन अधिनियमों का राज्यों द्वारा मूल भावना से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आंध्रप्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना है जहां आंध्रप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति हटाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक एफआरए को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

6.2 जम्मू–कश्मीर के बकरवाल जैसी अनुसूचित जनजातियों की बात करे तो, अब तक केंद्र सरकार और जम्मू–कश्मीर सरकार दोनों को शेष राष्ट्र में पेसा और एफआरए के अंतर्गत जनजातीय व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकारों की समान लीक पर सामूहिक रूप से अनुसूचित जनजाति समूह के हितों के सुरक्षण के लिए राज्य में एक जनजातीय कल्याण नीति रहने के लिए प्रयास करने चाहिए होंगे। विलंभ से ही सूचना है कि जम्मू–कश्मीर सरकार कार्य कर रही है। इसके पूर्वानुमान के साथ, अनुसूचित जनजातियों के समूह जैसे जम्मू में बकरवाल, के व्यवसाय के अंतर्गत जो जमीनों को हथियाने का आशय रखते हैं वे राज्य सरकार के प्रयासों के विरूद्ध आंदोलन शुरू करते हुए प्रतीत होते हैं। स्पष्ट है कि इन जनजातीय समुदायों को उनके कब्जे की चारागाह भूमि से उन्हें विस्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

6.3 यह कहा गया है कि जनजातीय मामलों का निपटान कर रहे जम्मू कश्मीर मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों को बकरवालों सहित जनजातीय लोगों को उनकी जमीनों से तब तक विस्थापित नहीं करने के लिए हाल ही में सही निर्देश दिए हैं जब तक कि मंत्रालय एक व्यापक जनजातीय कल्याण नीति को अंतिम रूप नहीं दे देता और कार्यान्वयन के लिए इस पर औपचारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता। वे लोग जो बकरवालों के कब्जे की जमीनों को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं एक आंदोलन शुरू करते हुए प्रतीत होते हैं कि इससे संबंधित निर्देश वापिस ले लिए जाए। संपूर्ण राष्ट्र के जनजातीय लोगों के कल्याण का संरक्षण होने के कारण आपके लिए किस मामले में हस्तक्षेप करना सर्वथा उपयुक्त होगा। यह सुनिश्चित करें कि

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

एक व्यापक जनजातीय कल्याण नीति को स्थापित करने में केंद्र सरकार जम्मू–कश्मीर सरकार से हाथ मिलाए जो पेसा और एफआरए में उपलब्ध कराए गए सुरक्षणों को अंतर्स्थापित करती हो और यह सुनिश्चित करें कि जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से बकरवालों के विधिक अधिकारों पर पूरी तरह से संरक्षित किया जा सके। इसी दौरान किसी को भी बकरवालों को उनके कब्जे की जमीनों से स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6.4 केंद्र सरकार और राज्य यह भी सुनिश्चित करें कि इन अनुसूचित जनजाति समुदायों के विरूद्ध किसी को भी हिंसा करने की अनुमति ना हो और जो उनके विरूद्ध अत्याचार करने का प्रयास करने में शामिल हो उनके विरूद्ध फास्ट–ट्रेक अभियोजन की कार्रवाइयां की जाए।

6.5 आयोग, भारत सरकार और जम्मू–कश्मीर सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 1(2) का संशोधन करते हुए जम्मू और कश्मीर में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की प्रयोज्यता को विस्तारित करने की सिफारिश करने पर विचार करें।

6.6 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत जनजातीय आबादी है परंतु, लद्दाख क्षेत्र में 90 प्रतिशत लोग जनजातीय है, इस तथ्य को देखते हुए आयोग यह सिफारिश करता है कि सम्पूर्ण जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।

(The Commission recommends that the POA Act should be made applicable to the entire State of J&K, in view of the fact that 10% of the total people are tribals in J&K, but in the Ladakh region 90% of the peoples are tribals.)

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 7	दिनांक 01.06.2015 से 31.05.2018 तक के लिए देशी एवं जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957 से संबंधित अभिपुष्ट आईएलओ सम्मेलन सं. 107 अभिपुष्ट पर अनुच्छेद 22 की रिपोर्ट के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली में दिनांक 08.05.2018 को आयोजित होने वाली बैठक के लिए कार्यसूची नोट।
Agenda Item No.7	Meeting to be held on 8.5.2018 at NCST, New Delhi regarding Article 22 Report on ratified ILO Convention No. 107 converning indigenious and Tribal Populations convention, 1957 for the period 1/6/2015 to 31/5/2018.

(KT/2/2018/MLAB1/DEOTH/RU-III)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 23.04.2018 के पत्र द्वारा सूचित किया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसरण में, भारत सरकार ने समय–समय पर अभिपुष्ट सम्मेलन के कार्यान्वयन पर आरअलओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। दिनांक 01.06.2015 से 31.05.2018 तक देशी एवं जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957 (सं. 107) से संबंधित सम्मेलन सं. 107 पर इस वर्ष की एक रिपोर्ट शेष है। सम्मेलनों एवं सिफारिशों के आवेदन पर विशेषज्ञों की आईएलओ समिति (सीईएसीआर) ने भी अपनी पिछली रिपोर्ट पर (प्रतिलिपि संलग्न) अवलोकन – 2015 तथा प्रत्यक्ष अनुरोध, 2015 निश्चित किया।

2. आईएलओ समिति ने संरक्षण–सह–विकास योजना के कार्यान्वयन और इस संबंध में उठाए गए कदम, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और भूमि अवाप्ति एवं पुर्नवास में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 और सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित सभी परिवारों के पुर्नस्थापन की सूचना के संबंध में डोगंरिया कोंध के संरक्षण पर अपने अवलोकन में भारत सरकार से अनुरोध किया।

3. समिति ने राष्ट्रीय जनजातीय नीति और व्यवसायिक प्रशिक्षण, हस्तकला, ग्रामीण उद्योग और शिक्षा को अपनाने में किए गए उन्नति पर आगे की सूचना देने के लिए अपने प्रत्यक्ष अनुरोध–2015 में भारत सरकार से अनुरोध किया है।

4. आईएलओ ने अवलोकन में उठाए गए बिंदुओं पर विशेष विशेषज्ञों की टिप्पणियों/विचारों और रिपोर्ट में मांगी गई सूचना देने का भी अनुरोध किया और प्रत्यक्ष अनुरोध, 2015 शीघ्र आईएलओ को भेजा जाए।

7.2 उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कोई टिप्पणी नहीं है क्योकि या एक नीतिगत मामला है। भारत सरकार को उपरोक्त विषय पर अपना मत अंर्तराष्ट्रीय श्रम संगठन को देना चाहिए।

(On the above subject National Commission for Scheduled Tribes has no comments as it is a policy matter Govt. of India should give its opinion to ILO on the subject)

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 8 **Agenda Item No.8**	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सीपीसयू, राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेश प्रशासन, राष्ट्रयकृत बैंकों, विश्वविघालयों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रश्नावलियों का संशोधन। Revision of Questionnaires of National Commission for Scheduled Tribes for the review meeting with Central Ministries/Departments, CPSUs, State Governments & UT Administration, Nationalised Banks, Universities and Educational Institutions.

(64/1/NCST/2018-Admn)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित सभी विषयों को मॉनिटर करने का दायित्व सौंपा गया है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन और संविधान, विधि और सरकार द्वारा जारी निदेर्शो के अंतर्गत उन लोगो को प्रदत्त सुरक्षणों की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासन, सीपीएसयू, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंको और विश्वविदयालयों/शैक्षिणक संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करता है। उद्देश्य के लिए पूर्व में कई प्रश्नावलियों तैयार की गई। आयोग द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाई जा रही प्रश्नावलियों एक दशक से भी अधिक समय से प्रयुक्त की जा रही हैं और इनमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों, सीपीएसयू आदि द्वारा नये विकास कार्यक्रम एवं कल्याण स्कीमें शुरू की गई है।

8.2 तद्नुसार, समीक्षा बैठकों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उपयोग किए जाने के लिए विषय पर विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित पांच प्रश्नावलियों का प्रारूप तैयार किया गया है:

1. राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर की समीक्षा बैठक
2. केंद्रीय मंत्रालय/विभाग
3. सीपीएसयू बैंक (राष्ट्रयकृत)
4. विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान।

8.3 आयोग ने संशोधित प्रश्नावली का अनुमोदन कर दिया है।

(The Commission appoved the revised questionnaire)

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 9	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1 9 8 9 के सभी प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए अध्यादेश का प्रचार और अनुसूचित जाति और तत्पश्चात अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1 9 8 9 को भारत का संविधान के नौवें अनुसूचीं में शामिल करना।
Agenda Item No.9	Promulgation of the Ordinance to enforce validation of all provisions the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and subsequent inclusion of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, in the Ninth Scheduled of Constitution of India.

(Policy-4/MoSJE/2018/RU-II)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1 9 8 9 के सभी प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए अध्यादेश का प्रचार और अनुसूचित जाति और तत्पश्चात अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1 9 8 9 को भारत का संविधान के नौवें अनुसूचीं में शामिल करने के संबंध में कैबिनेट के लिए ड्राफ्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए दिनांक 19.4.2018 की एक कार्यालय ज्ञापन भेजा हैं, जिसे आयोग में ई–मेल द्वारा दिनांक 20.4.2018 को प्राप्त किया गया।

9.2 ऐसी स्थिति में, अत्याचार रोकथाम अधिनियम पर अनुसूचित जााति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की निर्भरता और विश्वास की पुष्टि करने के लिए यह महत्वपूर्ण ओर सार्थक होगा और प्रांरभिक पूछताछ को लागू करके अभियुक्त को गिरफ्तारी से बचना आसान नहीं होगा। चूंकि यह आवश्यक है कि आत्याचार रोकथाम अधिनियम को संरक्षित रखा जाए।

9.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 31बी के तहत सुरक्षा हो और संभावित समक्षता के संबंध में कोई कमी हो तो उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिणाम स्वरूप इसे उठाया जा सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त मामले में फैसले को निरस्त कर दिया गया है प्रस्ताव संसद में एक संविधान संसोधन विधेयक पेश करके प्रभावी किया जाएगा। चुंकि 9वीं अनुसूचीं में अत्याचार रोकथाम अधिनियम को शामिल करने की प्रकिया संसद में इस मामले में अंत्यत आत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते पहले शुरू नहीं हो सकती इसलिए संसद सत्र में नहीं होने पर हस्तक्षेप अवधि के दौरान अध्यादेश जारी करना उचित होगा, किसी भी फैसले/न्यायिक निर्णय में किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण या लागू होने वाले किसी अन्य कानून के आदेश के बावजूद, अत्याचार निवारण अधिनियम में निहित प्रावधान मान्य होगें और वैध होने पर, अधिनियम के प्रावधान सभी भौतिक समय पर लागू होगें जब संसद का पुनर्गठन होगा।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

9.4 (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार रोकथाम) अध्यादेश, 2018 का ऐलान करना (ii) संसद में संविधान में संशोधन विधेयक, 2018 संसद में उल्लिखित विधेयक की शुरूआत के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। जैसा कि 3.2 और 3.3 पैराग्राफ में ऊपर निहित है।

9.5 उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित कार्यान्वयन का विवरण अनुबंध–1 में दिया गया हैं। प्रस्ताव निष्पक्षता के मानदंडों को पूरा करता है। संविधान की 9वीं अनुसूचीं में (अत्याचार निवारण) अधिनियम शामिल करने से न्यायिक समीक्षा से अधिनियम की रक्षा होती है। निष्पक्षता, नवीनता और पब्लिक जवाबदेही अनुबंध–2 पर है।

9.6 एन.सी.एस.टी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूचीं में शामिल करने के अध्यादेश के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है।

(National Commission for Scheduled Tribes agrees to the proposal of the ordinance to include SC&ST (POA) Act, in 9th Schedule of the Indian Constitution)

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 10	भारतीय संविधान के 9वें अनुसूची में इस अधिनियम को शामिल करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (पीओए) संशोधन अधिनियम, 2015 का संरक्षण और 20.3.2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करना और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, जिन्होंने 2.4.2018 को भारथ बंद में 2 दलितों की हत्या कर दी अनुरोध-reg
Agenda Item No.10	Protection of SC, ST (POA) Amendment Act, 2015 by including this Act into 9th schedule of Indian Constitution & Cancellation of Supreme Court Judgement dated 20.3.2018 & Taking stringent action against the accused who killed 2 Daliths in Bharath Bandh on 2.4.2018 request-reg.

(Policy/2/IDEA/2018/SC&ST ACT 1989 Amend./RU-II)

उपरोक्त विषय पर श्री जी. राजासुंदर बाबू, राज्य अध्यक्ष, आदर्श दलित कर्मचारी संघ ने दिनांक 30.04.2018 का एक अभ्यावेदन भेजा जिसे दिनांक 03.05.2018 को आयोग में प्राप्त किया गया। उन्होंने बताया है कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार चलते हैं तो यह निर्णय सर्वसम्मत रूप से उच्च जाति के पक्ष में है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 अथवा संशोधन अधिनियम, 2015 का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सामाजिक बुराइयों और सामाजिक अव्यवस्थाओं से रक्षा करना है। आगे, उन्होंने उल्लेख किया है कि वर्तमान निर्णय उच्च जाति के कर्मचारियों अथवा उच्च जाति के अधिकारियों (लोक सेवक) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (अत्याचार निवारण) को नजरदांज करते है, की सुरक्षा के लिए है।

10.2 आदर्श दलित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में उनके समाज में कई अत्याचार की घटनाएं कानून के समक्ष नहीं आ रही है। ग्रामीण स्तर पर 40 प्रतिशत घटनाएं भूस्वामियों के दबाव के कारण दबायी जा रही है, 20 प्रतिशत घटनाएं राजनैतिक लोगों के प्रभाव के कारण पंजीकृत्त नहीं की जा रही है, 20 प्रतिशत मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और जांच स्तर पर ही मामलों को बंद किया जा रहा है।

10.3 आदर्श दलित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने शीघ्र ही निम्नलिखित मांगों पर कार्रवाई करने और उन 35 करोड़ अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां जो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की सुरक्षा के लिए उसे भारत के संविधान की 9 वीं अनुसूची में उसे शामिल करना चाहिए और शीघ्र ही अध्यादेश लाना चाहिए।

(2) भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में पांच न्यायाधीश संवैधानिक खंडपीठ के समक्ष इस मामले का मूल्यांकन करने के लिए हर संभव कदम उठाना है।

(3) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (छ) को हटाते हुए अधिनियम, 2015 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम, 2015) में संशोधन करना।

(4) लोक सेवकों जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 2015 अथवा 1989 की धारा के अंतर्गत अत्याचार किए, के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से सीआर.पी.सी 197, के अनुसार अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, को अधिनियम 2015 में जोड़ा जाना चाहिए।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(5) हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोगों को अपराधिक न्यायालय शक्तियां (न्यायिक शक्तियां) प्रदान करने की मांग करते हैं।

(6) हम न्यायिक शक्तियों और उनमें अध्यक्ष के रूप में पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हुए भारत के सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोगों का गठन करने की मांग करते हैं।

(7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समर्पित एवं अनुभवी नेताओं से राज्य स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति का गठन किया जाना चाहिए।

10.4 आयोग उनकी जांच करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस सुझाव को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए एक नोड़ल मंत्रालय है, को भेजना चाहेगा।

10.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (पीओए) संशोधन अधिनियम, 2015 का संरक्षण भारतीय संविधान की 9वें अनुसूची में इस अधिनियम को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है।

(National Commission for Scheduled Tribes agrees into the proposal to include Protection of SC, ST (POA) Amendment Act, 2015 in 9th Schedule of the Indian Constitution.)

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कार्यसूची मद सं0 11	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकार–क्षेत्र की प्रयोज्यता।
Agenda Item No.11	Applicability of jurisdiction of National Commission for Scheduled Tribes set up under Article 338A of the Constitution in the State of Jammu & Kashmir.

(File No. Md.Y/1/2018/STGJK/ATRAPE/RU-I)

जम्मू एवं कश्मीर में एक जनजातीय लड़की के साथ "कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामला" हाल के संदर्भ में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकार–क्षेत्र की प्रयोज्यता के मुद्दे की जांच की गई।

11.2 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू संविधान के प्रावधानों को समय–समय पर संशोधित संविधान (जम्मू एवं कश्मीर में प्रयोग) आदेश 1954 में बताए गए हैं। भारत के संविधान के प्रावधानों में शामिल संविधान (जम्मू एवं कश्मीर में प्रयोग) आदेश 1954 जिसे जम्मू एवं कश्मीर में लागू किया गया है। उक्त 1954 के आदेश में अनुच्छेद 338 का कोई उल्लेख नहीं है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। इसलिए, इससे प्रकट होता है कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अमल जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है।

आर.के कोली
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
15.11.2002

11.3 मामले को पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पूर्व में जांच की गई थी। विधि कार्य विभाग ने दिनांक 15.11.2002 के अपने नोट द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकार क्षेत्र की प्रयोज्यता के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया था।

11.4 इस संदर्भ में, मामले को विस्तृत रूप से जांच करने के लिए दिनांक 7 मई, 2018 को सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में विधि कार्य विभाग के साथ एक बैठक की गई। विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात्, आयोग के विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए:

(i) भारत सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 338 क जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू है या नहीं। यदि नहीं, तो भारत सरकार को जम्मू एवं कश्मीर सरकार की सहमति मांगने का सुझाव दिया जाए ताकि अनुच्छेद 338 क राज्य में लागू किया जा सके। यह उल्लेख किया जा सकता है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अनुसूचित जनजातियों की

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जनसंख्या 14,93,299 है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 11.9 प्रतिशत है। जम्मू एवं कश्मीर में 12 समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। लद्दाख जैसे कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 90 प्रतिशत है। जबकि अनुसूचित जनजातियों को लाभ देना भारत सरकार के साथ–साथ जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला है। जम्मू एवं कश्मीर की तरह देश के अन्य भागों में अनुसूचित जनजातियों के हितों के सुरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह एक संवैधानिक निकाय की आवश्यकता है।

(ii) हाल के "कठुआ दुष्कर्म एवं हत्या मामला" जो कि एक अनुसूचित जनजातीय लड़की से जुड़ा हुआ है, को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू करने की शीघ्र आवश्यकता है ताकि आयोग अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार के अपराध की जांच कर सके और इस तरह के अपराधों और इससे जुड़े हुए मामलों अथवा घटनाओं के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास दिला सके।

(iii) अंत में आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की प्रायोज्यता के समतुल्य कठुआ दुष्कर्म हत्या मामले की पीड़िता और ऐसे अन्य मामलों में मुआवजा एवं राहत प्रदान किया जाए।

11.5 **गृह मंत्रालय को जम्मू एवं कश्मीर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 338क को लागू कराने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।**

(Ministry of Home Affairs should be approched to explore the possibility of making Article 338A of the Constitution applicable to J&K State.)

(नन्द कुमार साय)
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
नई दिल्ली

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

By Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Md.Y/1/2018/STGJK/ATRAPE/RU-I Date: 29/06/2018

To

1. The Secretary,
   Ministry of Home Affairs,
   North Block,
   New Delhi – 110001.
2. The Secretary,
   Department of Social
   Justice & Empowerment,
   Ministry of Social Justice
   & Empowerment,
   Shastri Bhawan,
   New Delhi -110001.
3. The Secretary,
   Ministry of Tribal Affairs,
   Shastri Bhawan,
   New Delhi – 110001.

Sub: Kathua Rape and murder case of a minor girl - issue comes in media.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the News about the incident was widely published in print and electronic media. The applicability of jurisdiction of National Commission for Scheduled Tribes set up under Article 338A of the Constitution in the State of J&K was discussed with the Officers of Department of Legal Affairs.

Thereafter, the issue of applicability of jurisdiction of National Commission for Scheduled Tribes set up under Article 338A of the Constitution in the State of J&K was discussed in the 104th Meeting of the Commission held on 08/05/2018 as Agenda Item 11.

The extracts of the relevant portion of the Summary record of discussions of 104th Meeting of the NCST held on 08/05/2018 is enclosed. It is requested that action taken / proposed to be taken on the recommendations of the Commission in the matter may please be sent at the earliest.

Encl: as above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy for information and necessary action to:

The Chief Secretary,
Govt. of Jammu & Kashmir,
Civil Secretariat,
Srinagar – 190001 (J&K),
Fax: -0194-2452356.

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to: Coordination Cell, NCST w.r.t. letter No. 1/4/2018-Coord. dated 08/06/2018.

By Speed Post

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. EASS/2/2018/STGJK/DEOTH/RU-I

Date: 29/06/2018

To

1. The Secretary,
   Ministry of Home Affairs,
   North Block,
   New Delhi – 110001.

2. The Secretary,
   Department of Social Justice & Empowerment,
   Ministry of Social Justice & Empowerment,
   Shastri Bhawan,
   New Delhi -110001.

3. The Secretary,
   Ministry of Tribal Affairs,
   Shastri Bhawan,
   New Delhi – 110001.

Sub: Protection of Bakarwals (Scheduled Tribe) of Jammu-a representation from Shri E. A. S. Sarma, Vishakhapatnam.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of representation dated 19/04/2018 (received through Email) of Shri E. A. S. Sarma, Vishakhapatnam. The issue raised in representation was discussed as Agenda Item 6 in the 104th Meeting of the National Commission for Scheduled Tribes held on 08/05/2018 at New Delhi.

The extract of the relevant portion of the Summary record of discussions of 104th Meeting of the NCST held on 08/05/2018 is also enclosed for perusal and record.

It is requested that action taken / proposed to be taken on the recommendations of the Commission in the matter may please be sent at the earliest.

Encl: as above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 24641640.

Copy for information and necessary action to:

The Chief Secretary,
Govt. of Jammu & Kashmir,
Civil Secretariat,
Srinagar – 190001 (J&K),
Fax: -0194-2452356.

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Cont.....

Copy to:

1. Shri E. A. S. Sarma,
   14-40-4/1 Gokhale Road,
   Maharanipeta,
   Vishakhapatnam – 530002.

2. Coordination Cell, NCST, Loknayak Bhawan, New Delhi – 110003 w.r.t. letter No. 1/4/2018 – Coord. dated 08/06/2018.